

मि.स. 29-01/2023-स्थापना/आर.टी.आई.

भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
विस्तार निदेशालय

कृषि विस्तार भवन
आई.एस.आर.आई. campus, पूसा
नई दिल्ली-110012
दिनांक 22 जून, 2023

सेवा में

Shri Nathulal Kanaujia
Village-Bagdad, Post Ishwarpur Sai
Via Mallawan, Janpad-Hardoi-241303
(Uttar Pradesh).

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना की आपूर्ति- विस्तार निदेशालय से सम्बंधित सूचना प्राप्त करने के लिए श्री नत्थूलाल कनौजिया, उत्तर प्रदेश से प्राप्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में सूचना देने से सम्बंधित (पंजीकरण संख्या DOEXT/R/T/23/00038 दिनांक 24-05-2023)

महोदय

कृपया आप अपने आर.टी. आई. अनुरोध उक्त पंजीकरण संख्या का अवलोकन करें जिसमें आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत उपरोक्त विषय पर विस्तार निदेशालय से सम्बंधित सूचना मांगी गई है । इस सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि मांगी गई सूचना विस्तार निदेशालय से सम्बंधित नहीं है ।

आपको सूचित करना है कि केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के उत्तर के खिलाफ प्रथम अपील, यदि कोई हो, करने के लिए यह उत्तर प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपीली प्राधिकारी को अपील किया जा सकता है । प्रथम अपीली प्राधिकारी का विवरण निम्नवत है :-

डॉ शैलेश कुमार मिश्र, निदेशक (विस्तार)
विस्तार निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कमरा न० 204,
कृषि विस्तार सदन, पूसा, नई दिल्ली-110012
दूरभाष - 011-25849881 व ई-मेल पता- shailesh.mishra29@gov.in

भवदीया

श्री. शानुमति

(एस० भानुमति)

उप० निदेशक (प्रशासन एवं. सी.पी.आई.ओ.)/प्रभारी

दूरभाष :- 011-25846467

ई-मेल :- deepa.pande65@gov.in

प्रतिलिपि :-

1. अवर सचिव (विस्तार व सी.पी.आई.ओ.), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ ।
2. अनुभाग अधिकारी (आर.टी.आई.), आर.टी.आई. सेल, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
3. श्री जगदीश प्रसाद यादव, संयुक्त निदेशक/आई.टी. इनचार्ज, कृषि विस्तार भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त जवाब को विस्तार निदेशालय की वेबसाइट www.krishivistar.gov.in पर अपलोड करवाने का कष्ट करें ।